



निगरानी प्रकरण क्रमांक :

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर

R. 3732-PBR/14

- 1) तौलिया पिता नाथीया भील
- 2) दौला पिता श्री नाथीया भील
- 3) वेलिया पिता नाथीया भील
- 4) हरचन्द पिता नाथीया भील
- 5) वरचन्द पिता नाथीया भील

सभी निवासी - ग्राम झांझरवा तहसील ^{राजपुर} ~~सजपुर~~ जिला झाबुआ (म.प्र.)

श्री ~~अरुण मानक~~ ^C 16-10-2014.
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक.....
को प्रस्तुत

665
16-10-2014.

प्रतीक

... प्रार्थीगण

विरुद्ध

हल्कुबाई पिता बुचा जाति सिगांड भील

आयु - 85 वर्ष, धंधा - खेती

निवासी - ग्राम झांझरवा तहसील ^{राजपुर} ~~सजपुर~~ जिला झाबुआ (म.प्र.)

हालमुकाम - ग्राम सजवानी छोटी तहसील ^{राजपुर} ~~सजपुर~~ जिला झाबुआ

27.10.14 को
समूह
D. 32

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3732-पीबीआर/2014

जिला - झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-2015	<p>आवेदक अभिभाषक श्री बी०के० गुप्ता उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।</p> <p>2/ अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 19-9-2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका हल्कूबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात समय-सीमा में मान्य कर प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निराकरण हेतु उभय पक्ष के अंतिम तर्क हेतु प्रकरण नियत किया गया है। आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी के दिनांक से भी अपील को समय-सीमा में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, अतः अपील को समय-सीमा में मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है जिसे निरस्त किया जाए। अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के आदेश की जानकारी होने पर तहसील न्यायालय में ही आवेदकों के नाम कम करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। दिनांक 18-3-14 को जब उक्त आवेदन निरस्त किया तत्पश्चात अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने तथा</p>	<p>Handwritten signature and date: 6-2-2015</p>

01